

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—75 / 2014 / 223 (2014 / 000084)

1. रामराज भडाणा पुत्र पूसालाल भडाणा, जाति गूजर, निवासी श्रंगारचंवरी, बिहारीगंज, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. खनिज अभियंता खान एवं भू-विज्ञान विभाग, अजमेर ।
3. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा नसीराबाद ।

रेस्पोंडेंटस

4. श्रीमती भंवरी पत्नि नारायण, जाति गुजर, नि० बेवन्जा, तह० नसीराबाद ।
5. प्रहलाद पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि० बेवन्जा, तह० नसीराबाद ।
6. जगदीश पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि० बेवन्जा, तह० नसीराबाद ।
7. कन्हैयालाल पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि० बेवन्जा, तह० नसीराबाद ।
8. ओमप्रकाश पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि० बेवन्जा, तह० नसीराबाद ।

प्रफोर्मा रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 30.10.2013 अंतर्गत वाद संख्या 67 / 2011.

उपस्थित:—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 1.

निर्णय

दिनांक:—28.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अधीन न्यायालय में वाद अंतर्गत धारा 177 सपडित धारा 63 राज०काश्त०अधि० 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेवन्जा की कृषि आराजी खसरा नंबर 2816 रकबा 0.78 है० किस्म बरानी—3 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की है । उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकारों के साथ दी गई थी । उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 7 के पास रहन रखी हुई है । प्रतिवादी संख्या 5 ने पत्र द्वारा वादी को अवगत

कराया कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 खनन कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त कार्य काश्तकारी कानून का उल्लंघन है। अतः वादग्रस्त आराजी से खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जावे। विद्वान अधी०न्याया० ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2013 द्वारा वादी/रेस्पो० संख्या 1 राज्य सरकार का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये। अधी०न्याया० के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया। रेस्पो० के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान वकील अपीलांत ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय न्याय, नियम तथा धारा 177 सपटित धारा 63 राज०काश्त०अधि० के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं धारा 178 (2) राज०का०अ० के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अधी०न्याया० की पत्रावली रेस्पो० संख्या 4 से 8 के द्वारा अपीलाधीन भूमि पर खनन कार्य किये जाने के संबंध में वादी/रेस्पो० संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये केवल मात्र पटवारी हल्का के हल्फिया बयान कराये गये जिसमें भी पटवारी हल्का ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2068 मोंके अनुसार जवार व मूंग की काश्त दर्ज है, काश्त की जाती रही है उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि के किसी भी भाग पर खनन कार्य होते हुए नहीं देखा गया है। इस प्रकार अधी०न्याया० का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो० संख्या 2 के द्वारा वादी/रेस्पो० संख्या 1 तहसीलदार के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया कि खसरा नंबर 2816 का एक भाग जिसका नाप 10X8X6 के भाग पर खड्डा खुदा हुआ है, मौके पर कोई खनन कार्य करते नहीं पाया गया, खनन कार्य के संदर्भ में कोई यंत्र, औजार नहीं पाये गये, मात्र विवादित भूमि के एक भाग पर खड्डा जो कि पुराना हो या नया या प्राकृतिक खड्डा हो के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया। वादी ने केवल मात्र खनिज अभियंता के पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है किन्तु खनिज अभियंता विभाग की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। बहस में यह भी कथन किया कि अधी०न्याया० ने अपीलांत एवं प्रफोर्मा रेस्पो० के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व राज०काश्त०अधि० फोर्म 10 सरकारी टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955) के 62-ए के तहत भी कोई नोटिस ही नहीं दिया जबकि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक था। अधी०न्याया० द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2013 निरस्त किया जावे।
5. विद्वान वकील अपीलांत ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा०दी० पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 2816 जिसके सहिस्सेदार प्रहलाद पुत्र नारायण से पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 21.6.2013 को एवं सहिस्सेदार भंवरी से उनके हिस्से की भूमि जरिये बैनामा दिनांक 15.4.2013 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांत के हक व अधिकार प्रभावित हुए हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांत को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।
6. विद्वान वकील अपीलांत ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० पेश कर निवेदन किया कि अधी०न्याया० के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2013 की उनके अधिवक्ता के द्वारा कोई सूचना प्रार्थी को

नहीं दी गई बल्कि दिनांक 18.2.2014 को उस समय जानकारी हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलाधीन भूमि का कब्जा छोड़ने, बेदखल करने, सिवायचक दर्ज करने बाबत अपीलांट को कहा । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधीन्याया के निर्णय व डिक्री की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे ।

7. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो संख्या 1 ने कथन किया कि अधीन्याया का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत है । विवादित भूमि अपीलांट को कृषि कार्य हेतु दी गई थी किन्तु अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो द्वारा विवादित भूमि पर खनन कार्य किये जाने से अधीन्याया ने वादी/रेस्पो संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।
8. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जादी एवं धारा 5 मियाद अधि का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 96 जादी में जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
9. अपीलांट ने विलंब के जो कारण पेश किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।
10. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा धारा 177 राजकाशत अधि 1955 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के विरुद्ध अवैध खनन मानते हुए ग्राम बेवन्जा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2816 रकबा 0.78 है किस्म बारानी के संबंध में यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि का खातेदार मु भंवरी बेवा नारायण, प्रहलाद, जगदीश, कन्हैयालाल, ओमप्रकाश पि नारायण, जाति गुजर द्वारा खनिज अभियंता के पत्रांक के अनुसार खनन कार्य किया जा रहा है जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश कर कथन किया कि उनके द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया जा रहा है । हल्का पटवारी द्वारा अपने बयानों एवं जिरह में कथन किया कि विवादित भूमि पर कई जगह खड्डे बना रखे है परन्तु जिरह में यह भी कथन किया है कि खसरा गिरदावरी 2066 व 2067 में काशत दर्ज है तथा यह भी कथन किया कि मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट/अप्रार्थी मौजूद नहीं था एवं अपीलांट/अप्रार्थी को खनन कार्य करते हुए नहीं देखा तथा गड्डे कितने गहरे व लंबे है पता नहीं है । पटवारी हल्का के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि मौके पर फसल काशत हो रही है तथा पटवारी बयानों से यह भी साबित नहीं होता है कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा ही खनन कार्य के उद्देश्य से खड्डे किये गये हो । यह प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजकाशत अधि के तहत प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज होने के बाद यदि अप्रार्थी उपस्थित होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का विरोध करे तो वाद के रूप में रूपांतरित होकर वाद के समान कार्यवाही की जाती है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीन्याया द्वारा सीधे ही इस प्रकरण को दिनांक 8.4.2011 की आदेशिका के अनुसार वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया जो विधिसम्मत नहीं है । अधीन्याया को धारा 178 राजकाशत अधि के

अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये जो नहीं की गई । धारा 178 राज०काश्त०अधि० निम्न प्रकार है:- “

11. धारा 178-धारा 177 के अंतर्गत डिक्री या आदेश-(1) धारा 177 के अंतर्गत डिक्री या आदेश में किसी आसामी को या तो समस्त भूमि क्षेत्र से या उसके किसी भाग से जिसका न्यायालय उस मामले की संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेश दे, बेदखल करने का निदेश दे सकेगा ।
(2) उक्त डिक्री या आदेश से यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर या ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के अंदर जिसके लिये न्यायालय कारण लिखकर अनुमति दे, टूट-फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझते तो डिक्री या आदेश को लागत के अलावा अन्य किसी के लिये निष्पादन नहीं किया जावेगा ।
12. इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सीधे ही सारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दे दिये जबकि धारा 178 (1) के अनुसार जितने भू-भाग पर अवैध खनन कार्य सिद्ध होता है उतने भू-भाग से बेदखली के आदेश ही पारित किये जा सकते थे तथा धारा 178 (2) के अनुसार बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलांत को खनन किये गये भू-भाग को पुनः यथास्थिति कायम रखने का अवसर निश्चित समय अवधि में प्रदान करना चाहिये था परन्तु अधी०न्याया० द्वारा उपरोक्तानुसार कोई भी कार्यवाही के आदेश अपने निर्णय में नहीं दिये गये हैं जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।
13. अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2013 खारिज किया जाता है । प्रकरण अधी०न्याया० को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 28.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर